न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा जिला शाहपुरा (राज0)

पीठासीन अधिकारी श्री पुनीत कुमार गेलड़ा, आर0ए0एस0

प्रकरण संख्या – 110/2023

उनवान

1– मु. दुर्गा पुत्री सम्पतलाल दरोगा निवासी गिरड़िया तहसील शाहपुरा
2– मु. प्रेम देवी पत्नी उदयलाल दरोगा निवासी गिरड़िया तहसील शाहपुरा
3– मु. मंजू पुत्री उदयलाल दरोगा निवासी गिरड़िया तहसील शाहपुरा
4– मु. ममता पुत्री सम्पतलाल दरोगा निवासी गिरड़िया तहसील शाहपुरा

– प्रार्थीगण

बनाम

1– सुखदेव पुत्र उर्जण तेली निवासी गिरड़िया तहसील शाहपुरा
2– कल्याण पुत्र उर्जर तेली निवासी गिरड़िया तहसील शाहपुरा
3– कन्हैयालाल पिता कल्याण शर्मा निवासी गिरड़िया तहसील शाहपुरा
4– सत्यनारायण पिता चतुर्भुज शर्मा निवासी गिरड़िया तहसील शाहपुरा
5– लादू पिता रामा खारोल निवासी गिरड़िया तहसील शाहपुरा
6– राजू पिता मगना खारोल निवासी गिरड़िया तहसील शाहपुरा
7– मोहन पिता कालू खारोल निवासी गिरड़िया तहसील शाहपुरा
8– मदन पिता कालू खारोल निवासी गिरड़िया तहसील शाहपुरा

– विपक्षीगण

उपस्थिति :– श्री त्रिलोकचंद नौलखा : अधिवक्ता प्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट, 1956

–:: निर्णय ::–

दिनांक– 03/01/2024

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत विरूद्ध विपक्षीगण के प्रस्तुत किया गया, जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है – ग्राम **गिरड़िया पटवार हल्का गिरड़िया** तहसील शाहपुरा जिला शाहपुरा में स्थित **आराजी नम्बर 1223 रकबा 0.06 है0, 1124 0.29 है0, 1125 रकबा 0.19 है0, 1226 रकबा 0.07 है0, 1227 रकबा 1.21 है0, 1228 रकबा 0.11 है0, 1242 रकबा 0.41 है0** कुल किता **7** रकबा **2.34** हैक्टेयर के प्रार्थीगण **संयुक्त खातेदार काश्तकार** है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पड़ौसी है। प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण के मध्य आराजी के सीमाचिन्ह नही होने से आये दिन सीमा सम्बन्धी विवाद उत्पन्न होता रहता है। अतः पत्थरगढ़ी करवाई जावें।

प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर **विपक्षीगण** को जरिये सम्मन तलब किया गया। **विपक्षीगण संख्या 3, 5 लगायत 8** बावजूद सूचना उपस्थित नहीं होने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गयी तथा **विपक्षीगण सं0 1, 2, 4** के विरूद्ध अभिभाषक प्रार्थीगण के कोई कार्यवाही नहीं चाहने से उनके विरूद्ध कार्यवाही ड्रोप की जाकर बहस अभिभाषक प्रार्थीगण सुनी गई। हमने पत्रावली का एवं प्रस्तुत खाते की नकल जमाबन्दी **ग्राम गिरड़िया पटवार हल्का गिरड़िया संवत 2075 से 2078** तक का अवलोकन किया। उपरोक्त वर्णित आराजीयात् **प्रार्थीगण के संयुक्त खातेदारी में** दर्ज होकर अपनी आराजीयात की पत्थरगढ़ी कराना चाहते है। अतः **प्रार्थीगण** द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा **गिरड़िया** में स्थित प्रार्थीगण की उपरोक्त **संयुक्त खातेदारी** की आराजीयात् किता **7 रकबा 2.34 हैक्टेयर** की पुख्ता पत्थरगढ़ी पक्षकारान् की मौजूदगी में अगर मौके पर अन्य कोई विवाद न हो तो व कोई प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन न हो तो कब्जे में हस्तक्षेप नही करते हुये पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु तहसीलदार शाहपुरा को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। पत्थरगढ़ी हेतु कमिश्नर **फीस 900/– रूपये** कायम किये जाते हैं, जो प्रार्थीगण से तहसीलदार शाहपुरा मौके पर प्राप्त करें। पत्थरगढ़ी मौका पर्चा पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम से हो। बाद तफसील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक **03/01/2024** को सरे ईजलास सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा जिला-शाहपुरा (राज.)

(पुनीत कुमार गेलड़ा)
उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलक्टर
शाहपुरा जिला शाहपुरा

प्रतिलिपि :– तहसीलदार शाहपुरा के पास भेजकर लेख है कि मुताबिक आदेश पक्षकारान् की मौजूदगी में नियमानुसार पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट शीघ्र भिजावें।

उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलक्टर
शाहपुरा जिला शाहपुरा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा जिला शाहपुरा (राज0)

पीठासीन अधिकारी श्रीमति निरमा बिश्नोई, आर0ए0एस0

प्रकरण संख्या – 110/2023

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151, 152, 153 सी.पी.सी.

–:: निर्णय ::–

दिनांक– **02/07/2024**

प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 151, 152, 153 सीपीसी प्रस्तुत कर निवेदन किया कि इस न्यायालय द्वारा दिनांक 03.01.2024 को जारी निर्णय में सहवन से आराजी नम्बर 1224 के स्थान पर 1124 एवं 1225 के स्थान पर 1125 टंकित हो गया है। तथा आराजी नम्बर 1243 रकबा 1.06 है0 टंकित किया जाना रह गया। प्रार्थना पत्र, प्रस्तुत प्रकरण का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर दिनांक 03.01.2024 को जारी निर्णय में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है।

निर्णय दिनांक 03.01.2024 को जारी आदेश के पैरा सं. 01 लाईन सं. 3 में आराजी नम्बर 1124 को 1224 एवं लाईन सं. 4 में आराजी नम्बर 1125 को 1225 पढा जावे जावे। साथ ही पैरा सं. 01 की लाईन सं. 5 में रकबा 0.41 है0 के आगे आराजी नम्बर 1243 रकबा 1.06 है. जोड़ा जाकर किता 7 रकबा 2.34 है. के स्थान पर किता 8 रकबा 3.40 है. पढा जावे। एवं पैरा सं. 02 लाईन सं. 8 में किता 7 रकबा 2.34 है0 के स्थान पर किता 8 रकबा 3.40 है0 पढा जावे है।

उक्त निर्णय पूर्व में जारी मूल आदेश दिनांक 03.01.2024 का भाग रहेगा। तदनुसार पालना सुनिश्चित की जावे।

उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा (जिला-शाहपुरा (राज.)

(निरमा बिश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलक्टर
शाहपुरा जिला शाहपुरा

प्रतिलिपि :– तहसीलदार शाहपुरा के पास भेजकर लेख है कि मुताबिक आदेश पक्षकारान् की मौजूदगी में नियमानुसार पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट शीघ्र भिजावें।

उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलक्टर
शाहपुरा जिला शाहपुरा